

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 236 सन 2022

अनवान :-

1. प्रेमसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनरूप सिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर।
2. मन्दरूप सिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
3. मांगुसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
4. लिछमा पत्नी रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
5. केलम कंवर पुत्री रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
6. ज्ञाना कंवर पुत्री रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
7. सुरेश वाई पत्नी बंशीलाल जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
8. शौरसिंह पुत्र बंशीलाल जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
9. रेणुकंवर पुत्री बंशीलाल जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
10. रेशमी कंवर पुत्री बंशीलाल जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88  
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 22/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 68/68 की कुल 8.8770 हैद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज रणजीतसिंह एव उनके पुत्र बंशीलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि पैतृक भूमि थी जो विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 वादी की बहन एवं रणजीतसिंह की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ,10 बंशीलाल की पुत्रीया एवं प्रतिवादी संख्या 8 की बहन है प्रतिवादी संख्या 5 , 6 ,9 ,10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,9 ,10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,8 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज रणजीतसिंह एवं

23

बंशीलाल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,9 ,10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 68/68 की कुल 8.8770 हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज रणजीतसिंह एवं उनके पुत्र बंशीलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि पैतृक भूमि थी जो विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 वादी की बहन एवं रणजीतसिंह की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ,10 बंशीलाल की पुत्रीया एवं प्रतिवादी संख्या 8 की बहन है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,9 ,10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,9 ,10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 68/68 की कुल 8.8770 हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज रणजीतसिंह के नाम से दर्ज थी वादी के पूर्वज रणजीतसिंह एवं उसके पुत्र बंशीलाल के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,9 ,10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,9 ,10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व

रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,9 ,10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 68/68 की कुल 8.8770 हैक् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,9 ,10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. प्रेमसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनरूप सिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर।
2. मन्दरूप सिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
3. मांगुसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
4. लिछमा पत्नी रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
5. केलम कंवर पुत्री रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
6. ज्ञाना कंवर पुत्री रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
7. सुरेश बाई पत्नी बंशीलाल जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
8. शेरसिंह पुत्र बंशीलाल जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
9. रेणुकंवर पुत्री बंशीलाल जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
10. रेशमी कंवर पुत्री बंशीलाल जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 236 सन 2022 निर्णय दिनांक-22/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 68/68 की कुल 8.8770 हैक् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,9 ,10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )